

अनुदान संख्या 102 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण
GRANT No. 102-STATIONERY AND PRINTING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	292,40,00	233,57,97	-58,82,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			29,43,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	13,00	8,85	-4,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			41

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2058" लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing				
मू.	O.	27995.00	25216.00	22359.69	-2856.31
पु.	R.	-2779.00			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	1245.00	1081.00	998.28	-82.72
पु.	R.	-164.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2058" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under Major Head "2058" - savings occurred under the following heads:-

(का) "लेखन सामग्री भंडार का क्रय तथा पूर्ति - लेखन सामग्री नियंत्रक" - 466.31 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery" - saving of Rs.466.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs); and

(खा) “सरकारी प्रकाशन - प्रकाशन नियंत्रक” - 120.25 लाख रु. की बचत (1843.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें समूह ‘घ’ स्टाफ के बकाया दावे और छुट्टी यात्रा रियायत बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “फार्मों का मुद्रण, भंडारण और वितरण - फार्म भंडार, कोलकाता” - 123.67 लाख रु. की बचत (986.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) “सरकारी मुद्रणालय” -

(क) “मुद्रण निदेशालय” - 189.69 लाख रु. की बचत (681.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “मुद्रणालय” - 4521.39 लाख रु. की बचत (21345.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण वेतन और भत्तों संबंधी बकाया बिल कम प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) “भारत सरकार मुद्रणालयों में मशीनरी और उपस्कर का नवीकरण और प्रतिस्थापन” - 143.86 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभिकरणों द्वारा ज्यादा मूल्य उद्धृत किए जाने की वजह से चार रंगीन मुद्रण मशीनों के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2202” - “सामान्य - निदेशन और प्रशासन - भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय” के अंतर्गत 246.72 लाख रु. की बचत (1245.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण वेतन और भत्तों संबंधी बकाया बिल कम प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) “Government Publications – Controller of Publications” – saving of Rs.120.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1843.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of arrear claims of Gr. D staff and leave travel concession bills.

(C) “Printing, Storage and Distribution of Forms – Forms Store, Kolkatta” – saving of Rs.123.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.986.00 lakhs);

(D) “Government Presses” –

(a) “Directorate of Printing” – saving of Rs.189.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.681.00 lakhs); and

(b) “Printing Presses” – saving of Rs.4521.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21345.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less arrear bills of pay and allowances on account of implementation of 6th Central Pay Commission Report and economy measures.

(c) “Renewal and Replacement of Machinery and Equipment in Government of India Presses” – saving of Rs.143.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for procurement of four colour printing machines owing to higher prices quoted by the agencies.

(II) Under Major Head “2202” – “General - Direction and Administration - Government of India Text Book Press” – saving of Rs.246.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1245.00 lakhs) was due to receipt of less arrear bills of pay and allowances on account of implementation of 6th Central Pay Commission Report and economy measures.

2. सरकारी गैर वाणिज्यिक विभाग की मूल्यहास आरक्षित निधि सरकारी मूल्यहास आरक्षित निधि

सरकारी गैर वाणिज्यिक विभाग की मूल्यहास आरक्षित निधि सरकारी मूल्यहास आरक्षित निधि (गैर वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर का नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के लिए आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू कराने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वतः कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यहास की गणना मुद्रणालय के कार्य यात्रा उत्पादन में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान निकाली गई मूल्यहास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। विभाग की सूचना के आधार पर बचत प्रावधान किया जाता है। सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यहास निधि के नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय-समय पर शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि ह्रासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यहास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

वर्ष 2009-2010 के लिए सरकारी मूल्यहास आरक्षित निधि (गैर वाणिज्यिक विभाग) की राशि इस प्रकार थी:-

अथशेष
प्राप्तियां
अदायगियां
अंतशेष

2. Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department. As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules Expenditure from the fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head depreciation Fund to the detailed head.

Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2009-2010 was as follows:-

	(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
Opening Balance	20,96,70
Receipts	1,85,80
Payments	. .
Closing Balance	22,82,50